

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:- ५५७ / FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनांक: देहरादून 16 अगस्त, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/29571/2017)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 17-02-2021

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 17-02-2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 222/12-1 दिनांक 31.07.2021 से प्राप्त आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 03, Cost benefit analysis found uploaded in old format. State govt. may upload the cost benefit analysis as per prescribed format quantifying all parameters in monetary terms.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-1)
2	In reply to point No. 04, State govt. has mentioned that the KML file of additional 3.14 ha. Area proposed CA land is uploaded which is not found uploaded. State govt. may submit clarification and do the needful in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.14 हे० सिविल सोयम वन भूमि का अन्यत्र सथान चयनित किया गया है तथा उक्त चयनित भूमि को के०एम०एल० फाईल में दर्शाकर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-2)
3	In reply to point No. 05, It is submitted that detailed CA scheme will be submitted after Stage-I approval. State govt. is requested to upload the detailed CA scheme as per current rate prior to the stage-I approval.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-3)
4	In reply to point No. 06 details of grith of trees submitted in tree enumeration lis uploaded in additional document in Part-II is not matching with the details submitted in para 4 in part-II. State govt. may clarify the disparity and submit/upload correct detail.	प्रभावित होने वाले वास्तविक वृक्षों की गणना के अनुसार सूची यथा स्थान अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-4)

5	In reply to point no. 08, State govt. has merely submitted that the distance is 20 KM from nearest wildlife sanctuary/National park, State govt. is required to submit the aerial distance certificate.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-5)
6	In reply to point No. 09, CWLW submitted that area is part of Shivalik elephant reserve but not submitted any comments regarding the effect of proposed road on Shivalik Elephant reserve. State govt. is required to submit the comments of CWLW in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त बिन्दु के अनुपालन में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक देहरादून से सम्बन्धित प्रमाण पत्र पुनः ऑनलाईन अपलोड किया गया है। (संलग्नक-6)
7	In reply to point No. 13 No change found in SIR of DFO as no comments still have been made at para 5.3 and 5.5 (b). Further, the dated of inspection is also missing. State govt. may submit the site inspection report mentioning the date of SIR and ensuring that the comments against para 5.3 and 5.5 (b) have been made.	पार्ट-2 के बिन्दु संख्या 15 में SIR के अनुसार संयुक्त निरीक्षण की तिथि 23.02.2019 अंकित है, जिस आधार पर उक्त तिथि को हार्ड कॉपी में भी तदनुसार अंकित किया गया है तथा ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-7)

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/29571/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री जीवन चन्द्र जोशी, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक 222/12-1 दिनांक 31.07.2021 के क्रम में।
2. श्री सन्दीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।